

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

—:: कार्यालय आदेश ::—

सं0सं0-02 / वि01-03 / 2024..... / राँची, दिनांक..... /
शीतलहर एवं ठंड के बढ़ते प्रभाव को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य में संचालित सभी कोटि के सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त / गैर सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) एवं सभी निजी विद्यालयों में दिनांक 06.01.2026 से दिनांक 08.01.2026 तक के लिए वर्ग-प्री नर्सरी / नर्सरी से वर्ग-12वीं तक की कक्षाएँ बन्द रहेंगी।

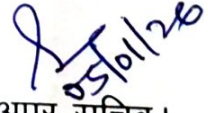
2. सभी कोटि के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी उपरोक्त अवधि में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए गैर शैक्षणिक कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करेंगे।

3. यदि उक्त अवधि में किसी विद्यालय में प्री बोर्ड परीक्षा आयोजित है तो सक्षम प्राधिकार अपने विवेकानुसार परीक्षा संचालन हेतु निर्णय लेंगे।

4. प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / -
(सीता पुष्पा)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-02 / वि01-03 / 2024.....08..... / राँची, दिनांक.....05/01/26..... /
प्रतिलिपि- विभागीय सचिव के आप्त सचिव / निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड, राँची / निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची / निदेशक, झारखण्ड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, राँची / निदेशक, झारखण्ड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, राँची / सभी उपायुक्त, झारखण्ड / सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची / सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक / सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, झारखण्ड / सभी जिला शिक्षा अधीक्षक, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।